उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2
संख्या-19/2016/561 ई-2/तेरह-2016-233/2000टीसी
लखनऊ::दिनांक 31 मार्च,2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम की आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश मिश्र, 5 एच/7, कूपर रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद के शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं एवं मामले की जांच किये जाने हेतु कार्यालय आदेश संख्या-47/2621 ई-2/तेरह-2014-233/2000, दिनांक 30 दिसम्बर,2014 द्वारा श्री संजय मिश्रा, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को जांच अधिकारी नामित किया गया था। उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 जनवरी,2016 द्वारा लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के पद पर अपनी नियुक्ति के कारण प्रश्नगत प्रकरण में किसी अन्य को जांच अधिकारी नामित किये जाने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् कार्यालय आदेश संख्या-8/2016/410ई-2/तेरह-2016-233/2000टीसी, दिनांक 19 फरवरी,2016 द्वारा श्री खेमकरन, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- श्री खेमकरन, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (जांच अधिकारी) द्वारा अपने पत्र दिनांक 29-2-2016 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वह मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा कुछ मामलों में पारित आदेशों में दिये गये दायित्वों के निर्वहन में पहले से ही अति व्यस्त होने के कारण उनके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जांच अधिकारी के रूप में आवश्यकतानुसार समय दे पाना सम्भव नहीं हो सकेगा। उक्त के दृष्टिगत श्री खेमकरन, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) द्वारा किसी अन्य को जांच अधिकारी नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: सम्यक् विचारोपरान्त आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम की आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश मिश्र, 5 एच/7, कूपर रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद के शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं एवं मामले की जांच हेतु श्री खेमकरन, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्थान पर श्री ओंकारेश्वर भट्ट, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को जांच अधिकारी नामित किया जाता है।

4- जांच अधिकारी से यथाशीघ्र जांच सम्पन्न कर जांच आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19/2016/561(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) श्री ओंकारेश्वर भट्ट, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, आवास सं0-4/3 बी0 ड्रमण्ड रोड, इलाहाबाद को श्री सत्य प्रकाश मिश्रा के उक्त सन्दर्भित शिकायती पत्र की छाया प्रति सहित।

(2) श्री खेमकरन, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, ए/1625, सेक्टर-1, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड स्कीम, लखनऊ को उनके पत्र दि0 29-2-2016 के संदर्भ में।

(3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।

(5) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध सहित कि जांच कार्य शीघ्र सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक अभिलेख एवं वांछित सहयोग जांच अधिकारी की अपेक्षानुसार यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(6) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।